

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती)

सरदार पटेल भवन, छठ तल, ब्लॉक-ए/626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800023

(विबसाइट www.csbc.bih.nic.in)

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' के रिक्त पदों पर
भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ।
ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 18/01/2022

विज्ञापन संख्या-02/2021

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' पद (वितनमान लेवल-3 [₹21,700 — 53,000]) की रिक्तियों की संख्या 365 (तीन सौ पैसठ) है।

2. इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 02/2021 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 19/12/2021 से प्रारंभ होगी।

3. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधान -(i) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -7/स्था0 (उ0सि0)-4-03/2013-4016, दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्राप्त अधियाचना, पत्रांक -7/स्था0 (उ0सि0)-4-03/2013-4315, दिनांक 22.11.2021 एवं बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्र संख्या-8/विविध-10-39/2021 गृ0आ0 9511, दिनांक 26.11.2021 (ii) बिहार सरकार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 7/स्था0(अरा0उ0)-21/2016-3248, दिनांक 28 जुलाई, 2017 (बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017) एवं बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), पटना की अधिसूचना संख्या-4/ब1-102/2008-6620/गृ0आ0 दिनांक 14 अगस्त, 2019 (बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड-III का परिशिष्ट 103), 9186/गृ0आ0, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 (बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड-III का परिशिष्ट 103 का संशोधन) एवं 1179/गृ0आ0, दिनांक 08.02.2021 (बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड-III का परिशिष्ट 103 में लिखित परीक्षा एवं पाठ्यक्रम में संशोधन) (iii) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक 20 जनवरी, 2016) (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक 13185, दिनांक 03 सितम्बर, 2015 (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली, 2019) (vii) विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या

1520, दिनांक 23 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019) (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या 2342, दिनांक 15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-10/2015-सा0प्र0-2526, दिनांक 18.02.2016 (राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (x) बिहार गजट (सं0 पटना 960) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर, 2017 (दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति में दिव्यांगों को आरक्षण के संबंध में प्रावधान) (xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-02/2014-सा0प्र0-12722, दिनांक 12 सितम्बर, 2014 एवं बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का संकल्प ज्ञापांक 386, दिनांक 14.01.2021, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का संकल्प ज्ञापांक 13423/सा.प्र. दिनांक 15.11.2021 के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

4. मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता :-

- 4.1 भारतीय नागरिक (Indian) होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेन्डर आवेदन कर सकते हैं।
- 4.2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :- मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 01/01/2021 तक इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण-पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी।
- 4.3 अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक-01/01/2021 को “मैट्रिक अथवा समकक्ष” प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी :-
 - (1) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष।
 - (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 27 (सत्ताईस) वर्ष।
 - (3) पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 28 (अट्ठाईस) वर्ष।
 - (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष।
 - (5) “बिहार के सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो।

- (6) सभी वर्गों (आरक्षित/अनारक्षित) के लिए दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जायेगी। राज्य के बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित श्रेणी के रूप में की जाएगी।
- (7) असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट-ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (8) अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

4.4 **अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड-** ऊँचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।

(क) ऊँचाई -

- (1) अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर।
- (2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए- न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर।
- (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर।
- (4) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए- न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए)-

- (1) अनारक्षित (सामान्य)/ पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए-

बिना फुलाए	-	81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर	-	86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

 (फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।
- (2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए-

बिना फुलाए	-	81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर	-	86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

 (फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।
- (3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए	-	79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर	-	84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

 (फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।
- (4) महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी।

(ग) वजन - सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो ग्राम होना आवश्यक है।

(घ) दिव्यांगों के लिए मानदण्डों में छूट - बिहार गजट (सं0 पटना 960) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर, 2017 की कण्डिका 2(xviii) तथा मद्यनिषेध, उत्पाद एव निबंधन

विभाग के पत्रांक-7/स्था0(उ0सि0)-4-03/2013-4907, दिनांक 15.12.2021 के आलोक में दिव्यांग जनों को शारीरिक अर्हता के मानदण्डों/मापदण्डों में छूट प्रदान की जाएगी।

(च) किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदण्ड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया-

(क) प्रथम चरण - 'लिखित परीक्षा' - (i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी।

(ii) प्रश्न-पत्र-दो घंटों के एक प्रश्न-पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक दिया जाएगा।

(iii) ओ0एम0आर (OMR)/उत्तर पुस्तिका :- ओ0एम0आर/उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केन्द्रीय चयन पर्सद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओ0एम0आर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा-रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा इसके लिए पर्सद जिम्मेवार नहीं होगा।

(iv) दृष्टिहीन या कम दृष्टि दिव्यांग के लिए :- दिव्यांग अभ्यर्थी जो दृष्टिहीन या कम दृष्टि के हैं उनके लिए लिखित परीक्षा में श्रुतिलेखक की व्यवस्था पर्सद द्वारा की जायेगी। दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित समय के साथ-साथ प्रतिघंटा पन्द्रह (15) मिनट की दर से तीस (30) मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

(v) पाठ्यक्रम- लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र) 5. विज्ञान (भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

(vi) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जायेंगे।

(vii) "लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।"

(viii) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार पाँच गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा।

(ix) लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में दिव्यांग अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के लिए कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(ख) **द्वितीय चरण - 'शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा' - शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।**

(i) **दौड़ - अधिकतम 50 (पचास) अंक।**

सभी कोटि के पुरुषों के लिए- 1 (एक) मील (1.6 कि०मी०) [अधिकतम 6 मिनट में]

5 मिनट से कम	-	50 अंक
5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक	-	40 अंक
5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक	-	30 अंक
5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक	-	20 अंक
6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।		

सभी कोटि की महिलाओं के लिए- 1 (एक) कि०मी० [अधिकतम 5 मिनट में]

4 मिनट से कम	-	50 अंक
4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकण्ड तक	-	40 अंक
4 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकण्ड तक	-	30 अंक
4 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट तक	-	20 अंक
5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।		

(ii) **गोला फेंक- अधिकतम 25 (पच्चीस अंक)।**

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा।

16 फीट से 17 फीट तक	-	09 अंक
17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक	-	13 अंक
18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक	-	17 अंक
19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक	-	21 अंक
20 फीट से ज्यादा	-	25 अंक

16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 12 पौंड का गोला न्यूनतम 12 (बारह) फीट फेंकना होगा।

12 फीट से 13 फीट तक	-	09	अंक
13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक	-	13	अंक
14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक	-	17	अंक
15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक	-	21	अंक
16 फीट से ज्यादा	-	25	अंक

12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(iii) **ऊँची कूद- अधिकतम 25 (पच्चीस अंक) ।**

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 4 (चार) फीट

04 फीट	-	13	अंक
04 फीट 4 इंच	-	17	अंक
04 फीट 8 इंच	-	21	अंक
05 फीट	-	25	अंक

04 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट	-	13	अंक
03 फीट 4 इंच	-	17	अंक
03 फीट 8 इंच	-	21	अंक
04 फीट	-	25	अंक

03 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

नियत समय (पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट) में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं/अथवा ऊँची कूद स्पर्धा/स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊँची कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा।

(iv) **किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) के लिए** - बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का संकल्प ज्ञापांक 386, दिनांक 14.01.2021 की कण्डिका 5(III) के अनुसार “ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति कोटि के समरूप छूट प्राप्त होगी। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र उनके ट्रांसजेन्डर होने के निमित्त प्रस्तुत करना होगा।

(v) **दिव्यांगों के लिए मानदण्डों में छूट** - बिहार गजट (सं0 पटना 960) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर, 2017 की कण्डिका 2(xviii) तथा मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पत्रांक-7/स्था0(उ0सि0)-4-03/2013-4907, दिनांक 15.12.2021 के आलोक में दिव्यांग जनों के लिए ‘शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा’ के मानदण्ड/मापदण्डों को शिथिल कर चयन किया जाएगा।

6. मेधा सूची एवं चयन की अनुशंसा -

(क) (i) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा- दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी। शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में, उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले, एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

(ii) शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में, पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हक परीक्षा (इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

(iii) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में, अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(iv) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा 'नियुक्ति प्राधिकार' आयुक्त उत्पाद, बिहार को नियुक्ति हेतु भेजी जायेगी।

(ख) **दिव्यांग जनों की मेधा सूची** : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पत्रांक-7/स्था0(उ0सि0)-4-03/2013-4938, दिनांक 16.12.2021 के आलोक में दिव्यांग जनों की मेधा सूची की प्रक्रिया अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुरूप अपनाई जाएगी।

7. **रिक्ति** :- मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -7/स्था0 (उ0सि0)-4-03/2013-4679, दिनांक 07.12.2021 के अनुसार 'मद्य निषेध सिपाही' के रिक्त पदों की संख्या 365 (तीन सौ पैंसठ) है।

(क)

क्र0सं0	कोटि	पदों की कुल संख्या (बैकलॉग सहित)	35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या	बैक लॉग पदों की संख्या
01	अनारक्षित	126	41	-
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए	29	09	-
03	अनुसूचित जाति	88	17	39
04	अनुसूचित जनजाति	06	01	03
05	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	82	20	26
06	पिछड़ा वर्ग	21	07	-
07	पिछड़े वर्गों की महिला	13	-	04
योग-		365		

(ख)

01	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नातीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	06 (कुल पद 365 के अधीन)
----	--	----------------------------

(ग)

01	सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या 11/आ0नी0-1-06/2017-962/ सा0प्र0, दिनांक 22 जनवरी, 2021 की कंडिका 8 (आदर्श रेस्टर) के द्वारा परिभाषित दिव्यांगता के अधीन "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के तहत दिव्यांगों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	12 (कुल पद 365 के अधीन)
----	---	----------------------------

8. आरक्षण :-

(i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

(ii) महिलाओं के लिए प्रावधान :-

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा।

परंतु, यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

परंतु, यह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

(iii) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के लिए प्रावधान :-

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13185, दिनांक 03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नातीनी के लिए नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज

आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

(iv) “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019” के प्रावधान लागू होंगे।

(v) **बिहार राज्य के दिव्यांगों के लिए प्रावधान :-**

(क) बिहार गजट (सं० पटना 960) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर, 2017 सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या 11/आ०नी०-1-06/2017-13062/सा०प्र०, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 की कंडिका 2(iv) के द्वारा परिभाषित दिव्यांगता के अधीन “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016” की धारा 34 के तहत दिव्यांगों के लिए 04 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अलग से नहीं बल्कि चयनित दिव्यांग जिस श्रेणी से संबंधित होंगे, उनका सामंजस्य उसी श्रेणी के विरुद्ध किया जायेगा अर्थात् आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) के दिव्यांग संगत आरक्षित वर्ग से और गैर आरक्षित वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध सामंजस्य किये जायेंगे।

(ख) **आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा** - केवल ऐसे उम्मीदवार सेवाओं / पदों में आरक्षण के पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। उम्मीदवारों को बिहार गजट (सं० पटना 960) के अनुबंध-I में दिये गये प्रारूप में सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड) द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) जहाँ किसी भर्ती वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-34 के अधीन किसी रिक्ति के विरुद्ध उपयुक्त दिव्यांग व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जा सकता है, तो इसे उसी समव्यवहार में चारों प्रवर्गों के बीच परस्पर परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तभी जब उस वर्ष में पद के लिए कोई दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, नियोजक दिव्यांग व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा, वहाँ ऐसी रिक्ति अगले वर्ष में अग्रणित नहीं की जायेगी।

(vi) **बिहार राज्य के किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) के लिए प्रावधान :-**

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है। बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या 12722, दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के अनुसार किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा।

(vii) आरक्षण का लाभ, केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी

के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को अनारक्षित कोटि/श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

9. **कट ऑफ तिथि :-** सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट-ऑफ तिथि **01 जनवरी, 2021** निर्धारित की जाती है।

10. **“नियुक्ति प्राधिकार”-** बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017 के नियम 2(ii) के अनुसार “मद्य निषेध सिपाही” पद हेतु “नियुक्ति प्राधिकार” आयुक्त उत्पाद, बिहार होंगे।

11. **चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन-**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार – “आयुक्त उत्पाद, बिहार” द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जाएंगे।

12. लिखित परीक्षा / शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मास्क पहने रहेंगे तथा हैण्ड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ एवं पेय जल साथ लाएँगे तथा प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

13. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :-** ‘मद्य निषेध सिपाही’ के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है। दिनांक 19/12/2021 से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट – www.csbc.bih.nic.in पर जाकर ‘Prohibition Deptt.’ के Tab पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन-पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन करने / आवेदन-पत्र समर्पित करने के बाद आवेदन-पत्र के शुल्क को संबंधित बैंक से चार्ज बैंक की मांग कर वापस ले लिया जाएगा उनके आवेदन-पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

14. बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि/वर्ग के महिला/पुरुष हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 675/- (छः सौ पचहत्तर) रूपये तथा

बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग/कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 180/- (एक सौ अस्सी) रुपये है। सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 180/- (एक सौ अस्सी) रुपये होगा।

15. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगी, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट कार्ड/रुपे डेबिट कार्ड (Credit/Rupay Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड / रुपे डेबिट कार्ड (Credit/Rupay Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रान्जेक्शन (Transaction) ही अनुमान्य होंगे इसके अतिरिक्त कोई अन्य Payment Mode नहीं होगा।

16. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-

(i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर 'Prohibition Deptt.' के Tab या Advs by Group में जाकर Adv. No. 02/2021 पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

(iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथा सम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है। यदि आपकी अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आईडी (e-mail Id) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी।

(iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक पर्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर / ई-मेल आईडी पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी के लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा।

(v) अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाएगी।

(vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आई0डी0 पर भी भेजा जायेगा।

(vii) आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।

(viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे। प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(x) आवेदन-पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।

(xi) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट-state.bihar.gov.in पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

(xii) ऑनलाइन आवेदन पत्र :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा - (क) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रियता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई0डी0, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आई0डी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है।

पंजीकरण रद्दीकरण - यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट (Edit) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर

सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

(ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद ऑनलाइन आवेदन-पत्र के द्वितीय भाग में उम्मीदवार को वांछित सूचनाएँ यथा- पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (i) आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली एवं नीली स्याही से) अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक “Edit Details” के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट/समर्पित किए गये आवेदन-पत्र के विवरण को सही मानते हुए पर्षद आवेदन-पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

(घ) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर नया आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया :-

यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन-पत्र गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

17. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) भरे गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र को केन्द्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

18. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 18/01/2022 निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. उम्मीदवारी रद्दीकरण - आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है :

- (i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।
- (ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति, अन्य फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।
- (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना।
- (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।
- (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।
- (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।
- (vii) आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना।
- (viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना।
- (ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे - विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, तथा भारत का नागरिक न होना आदि।
- (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।
- (xi) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत / समर्पित न करना, जैसे -
 - (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।
 - (ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आदि।
- (xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।
- (xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।
- (xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना।

(xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।

20. आवेदन-पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं पर्षद की वेबसाइट पर यथा समय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती है। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई-मेल आईडी सक्रिय/जारी रखें।

21. ऐसी विवाहित महिलाएँ जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जाँच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

22. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 06 माह का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा- पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

ह0/-

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना

ज्ञापांक 55/के0च0प0(सू0)

दिनांक 17/12/2021

अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक-ए/626,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना- 800023

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।

ह0/-

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना